संख्या-11/2015/672/क0नि0प्र0/26-3-2014-15(03)/2014

प्रेषक,

दीनानाथ

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग **लखनऊः दिनांकः 04 जून, 2015**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2044/स0क0/विकास/सब प्लान-36/2014-15, दिनांक 16 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड-पनियरा के ग्राम रजोड़ा खुर्द एवं सूचितपुर (बघौना) में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण आदि कार्यो की 02 परियोजनाओं की कुल लागत रू0 909.18 लाख (रू0 नौ करोड़ नौ लाख अट्ठारह हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष धनराशि अर्थात रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	**जनपद का नाम**	**विकास खण्ड का नाम**	**ग्राम का नाम**	**कार्य का विवरण**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति**	**वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि**
1	महाराजगंज	पनियरा	रजोड़ा खुर्द	सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	458.62	125.00
2	महाराजगंज	पनियरा	सूचितपुर (बघौना)	सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	450.56	125.00
				योग	**909.18**	**250.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन यथाशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) महाराजगंज को योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा और इनके द्वारा औपचारिकता पूर्ण कराकर धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- निदेशक, समाज कल्याण को जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, महाराजगंज से कार्य कराया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि जनपद के लोक निर्माण विभाग के जनपदीय वरिष्ठ अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित किया जायेगा तदोपरान्त ही अगली किश्त स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

10- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव

<u>पृ.संख्या-11/2015/672(1)/ क0नि0प्र0/26-3-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, महाराजगंज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, महाराजगंज।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), महाराजगंज।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, महाराजगंज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in